1	विभाग–	श्रम विभाग
2	योजना का नाम –	**गम्भीर बीमारी सहायता योजना**
3	योजना संक्षिप्त टिप्पणी–	यह योजना श्रम आयुक्त, उ0 प्र0 के पत्र सं0 4200–4331/भवन निर्माण–(90)/2011 दिंनाक 15.07.2011 के द्वारा अधिसूचित की गई है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र/अविवाहित पुत्री की गंभीर बीमारी में प्रदेश के किसी भी शासकीय चिकित्सालय में तथा भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन किसी स्वायत्तशासी चिकित्सालय में कराये गये ईलाज के उपरान्त प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन उसके द्वारा उस बीमारी के उपचार पर किये गये ईलाज की शत प्रतिशत प्रतिपूर्ति बोर्ड के द्वारा की जायेगी। योजना के अंतर्गत यदि लाभार्थी श्रमिक गंभीर बीमारी की स्थिति में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा, भारत सरकार की सी0 जी0 एच0 एस0 व ई0 एस0 आई0 द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुबन्धित अस्पतालों में भर्ती होने या ईलाज कराते हैं, तो उनसे प्राप्त सूचना/अभिलेख के आधार पर गंभीर बीमारी के ईलाज की सीधे प्रतिपूर्ति उस अस्पताल को की जायेगी। **गम्भीर बीमारियाँ** –मस्तिष्क की शल्य क्रिया, हृदय की शल्य क्रिया, रीढ़ की हड्डी की शल्य क्रिया, लीवर का प्रत्यारोपण, गुर्दे का प्रत्यारोपण, पैर के घुटने बदलना, किसी भी प्रकार का कैन्सर, एच0 आई0 वी0/एड्स, घुटने बदलने की शल्य क्रिया, आंख की शल्य क्रिया, पथरी की शल्य क्रिया, एपेण्डिक्स की शल्य क्रिया, हाइड्रोसील की शल्य क्रिया, महिलाओं मे होने वाले स्तन कैंसर की शल्य क्रिया, सर्विकल (बच्चेदानी/योनि) कैंसर की शल्य क्रिया शेष अन्य बीमारियों के लिये इस योजना में कोई लाभ देय नहीं है
4	पात्रता की अर्हता–	लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वयं अथवा उसकी पत्नी अथवा उस पर आश्रित 21 वर्ष से कम आयु के पुत्र/अविवाहित पुत्री
5	आवेदन की प्रक्रिया–	आवश्यक अभिलेखों सहित स्थानीय श्रम कार्यालय में निःशुल्क आवेदन
6	लिंक वेबसाईट	http://upbocw.in/
7	सम्पर्क सूत्र	अन्य जानकारी हेतु सम्बन्धित जनपद के उप श्रमायुक्त से सम्पर्क किया जा सकता है।